अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती सुखरानी पत्नी भारत भूषण जाति जाट निवासी बी-217 मॉ हींगलाज नगर, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

गोपाल चौधरी पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी बी–217 मॉ हींगलाज नगर, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 01.12.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 101/2022 ब उनवानी श्रीमती सुखरानी बनाम गोपाल चौधरी

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 12.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 101/2022 ब उनवानी श्रीमती सुखरानी बनाम गोपाल चौधरी में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण ने एक 88 वर्षीय विधवा अपीलार्थी के मकान पर अवैद्य कब्जा किये बैठै दोषी प्रत्यर्थी को उसके मकान से कब्जा खाली ना करा कर कानून के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की घोर अनदेखी की है। अपीलार्थी ने ये मकान अपनी जमा पूंजी से अपने पति स्व॰ श्री भारत भूषण के साथ मिल कर के खरीदा था जिसमें दो कमरे, एक रसोई, एक बीच में हाल तथा एक लैट्रीन बाथरूम बने हुये है। अपीलार्थिया के पति राजस्थान पुलिस सेवा में सिपाही थे, 22 जुलाई 2010 को हार्ट अैटैक से उनकी मृत्यु हो गयी । मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी पुत्री फूलवती के बेटै

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

गोपाल चौधरी को गोद ले लिया था । पति की मृत्यु के बाद अपीलार्थिया ने जयपुर विकास प्राधिकरण से अपने नाम से दिनांक 10.06.2016 को एक पट्टा प्राप्त कर लिया तथा अपने नाम से रजिस्ट्री भी करवा ली थी। प्रत्यर्थी चाहता है कि किसी भी तरह से अपीलार्थीया पर दबाव बना कर उसे घर से बाहर कर दिया जाये। प्रत्यर्थी, अपीलार्थिया के साथ लडाई झगड़ा, गाली गलौच करता है जिससे परेशान होकर आखिर अपना खुद का घर छोड कर एक किराये के कमरे में जा कर रहने को बजबूर हो गई है। पिछले 6 महीने से इधर उधर कभी कहीं कभी कहीं मारी मारी फिर रही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर बी 217 मॉ हींगलाज नगर गांधी पथ पश्चिम जयपुर से बेदखल किया जावे व अपीलार्थी की वादग्रस्त विषय वस्तु के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं डाले ना किसी अपने ऐजेन्ट व सर्वेन्ट प्रतिनिधि से ही करवाये और ना ही उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे ।

5. प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की प्रत्यर्थी को आपसी सहमति से ही गोद लिया गया था जिसका गोदनामा दिनांक 28.02.2005 को उप पंजीयक जयपुर तृतीय जयपुर के यहां रजिस्टर्ड किया गया था। प्रत्यर्थी, उसकी पत्नी व बच्चे अपीलार्थिया की काफी सेवा आदि करते है। किसी प्रकार से खान पान, भरण पोषण, दवा आदि की कमी नहीं आने देते है। अपीलार्थिया को अपने पति की पेन्शन मिलती है। इसलिए जीवन यापन हेतु कोई समस्या नहीं है और ना ही मकान किराये पर उसका जीवन निर्भर है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) के तहत प्रत्यर्थी को विवादित मकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित पाते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर बी 217 मॉ हींगलाज नगर बी, गांधी पथ, (पश्चिम) जयपुर से प्रत्यर्थी को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी के उक्त मकान में

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रहने में प्रत्यर्थी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। अपीलार्थी के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभय पक्षकारान को नि: शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner